संख्या–02 /2026/65-2099/48/2025

प्रेषक,

सुभाष चन्द शर्मा,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2026

विषय:-"दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता" योजना के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाने विषयक कार्यकारी आदेश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2224/दि0ज0स0/सहायता अनुदान/2025-26/लखनऊ दिनांक 04.09.2025 एवं पत्र संख्या-3718/दि0ज0स0/सहायता अनुदान/2025-26/लखनऊ दिनांक 22.12.2025, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) हेतु **"दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता"** योजना संचालित किये जाने के लिए कार्यकारी आदेश/दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके अद्यतन पत्र संख्या-3718/दि0ज0स0/सहायता अनुदान/2025-26/लखनऊ दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध बजट, समयावधि तथा परियोजना के स्वरूप को देखते हुये प्रथम चरण में आपके पूर्व पत्र संख्या-2224/दि0ज0स0/सहायता अनुदान/2025-26/लखनऊ दिनांक 04.09.2025 में प्रस्तावित 12 परियोजनाओं/कार्यक्रमों में से 07 परियोजनाओं/कार्यक्रमों को सहायता अनुदान देते हुये योजनान्तर्गत क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. अर्ली इण्टरवेंशन सेन्टर।
2. डे केयर सेन्टर/प्री-प्राइमरी स्कूल।
3. प्राइमरी स्कूल के स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन।
4. जूनियर हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन।
5. हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन।
6. कौशल विकास (अधिकतम 04 ट्रेड तथा न्यूनतम 02 ट्रेड)

7. पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन।

3. अतः "दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता" योजना के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाने हेतु कार्यकारी आदेश/दिशा-निर्देश सम्यक् विचारोपरान्त निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कार्यकारी आदेश/दिशा-निर्देश (कुल पृष्ठ-22) संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

03/01/26

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

तद्संख्या/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।
6. दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञासे,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- ०2/2026/65-2099/48/2025 का संलग्नक (कुल पृष्ठ-22)

"दिव्यांगजन (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता" अनुदान योजना से संबंधित दिशा-निर्देश:-

1. योजना का नाम	"दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता"
2. प्रस्तावना	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है जिसका मूल उद्देश्य दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा से सहयुक्त करने के लिए उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता, संवेदनशीलता, कौशल विकास एवं शीघ्र पहचान से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं/विद्यालयों/पुस्तकालयों/डे-केयर सेन्टर्स आदि को अनुदान प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक पात्रता, अवसंरचना, प्रशिक्षण, अनुदान की सीमा एवं दरें, अनुदान वितरण की प्रक्रिया, अनुदान के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अनुदान हेतु स्वीकृति आदि का उल्लेख इस कार्यकारी आदेश में किया गया है। चूँकि दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन को सुनिश्चित करने के लिए शासकीय कार्यक्रमों के साथ-साथ स्वैच्छिक संस्थाओं की भी भागीदारी आवश्यक है तत्क्रम में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना प्रस्तावित की गयी है।
3. परिभाषा	जब तक संदर्भ न हो अन्यथा अपेक्षित न हो, इस कार्यकारी आदेश में- (i) "अनुदान" से तात्पर्य इस कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान से है। (ii) "निदेशक" से तात्पर्य दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के निदेशक से है। (iii) "जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी" से तात्पर्य संबंधित जनपद/मण्डल के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी/उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से है। (iv) "दिव्यांगजन" से आशय ऐसे सभी व्यक्तियों से है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लिखित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से किसी एक से अथवा बहुदिव्यांगता (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) से प्रभावित हो,जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तत्संबंधी दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। (v) "जिलाधिकारी" से आशय संबंधित जिले के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट से है। (vi) "पुनर्वास" से तात्पर्य दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन के रूप में शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पुनर्वासन से है। (vii)"भारतीय पुनर्वास परिषद" से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय से है जो दिव्यांगजन के पुनर्वासन से संबंधित पेशेवरों के पंजीकरण आदि के लिए नियामक प्राधिकारी है। (viii)"क्लीनिकल सेवायें" का तात्पर्य आक्यूपेशनलथेरेपी, फिजियोथेरेपी, आडियोलाजी एवं स्पीचथेरेपी, मनोचिकित्सीयथेरेपी आदि एवं तद्नुरूप सेवाओं से है।

	(ix)"व्यक्तिगत शैक्षिक योजना" से तात्पर्य दिव्यांगजन विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेखों को अपेक्षित सुधारों को सुव्यस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से सुरक्षित किये जाने से है। (x) "संस्थात्मक स्वैच्छिक संगठन" का तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था से है। (xi)"राज्य सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। (xii) "प्रबन्धक/सचिव" से तात्पर्य स्वैच्छिक संगठन/संस्था के प्रबंधक/सचिव से है।
4. उद्देश्य	दिव्यांगजन अधिनियम,2016 में परिभाषित विभिन्न श्रेणी की दिव्यांगता यथा (दृष्टिबाधित/अल्पदृष्टि/कुष्ठ रोग जनित/ श्रवण बाधित/चलन निःशक्तता /बौनापन/आटिज्म/सेरेबल पाल्सी/मांसपेशी दुर्विकार/कोनिक न्यूरोलाजिकल/लर्निंग डिसेबिलिटी/मल्टीपल सकेलेरोसिस/वॉक एवं भाषा निशःक्तता/थैलेसीमिया/हिमोफीलिया/सिकल सेल रोग/बहु निःशक्तता/तेजाब हमला पीड़ित/पार्किनसंस) (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजनों को छोड़कर) के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है जिसका मौलिक उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से सहयुक्त करने के लिए उनके शिक्षण प्रशिक्षण, जागरूकता, संवेदनशीलता एवं शीघ्र पहचान से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं/विद्यालयों/पुस्तकालयों/डे-केयर सेन्टर्स आदि को अनुदान प्रदान करना है। इसमें मूलतः निम्न घटक समाहित हैं:- 1. ऐसे दिव्यांग (दृष्टिबाधित/ अल्पदृष्टि/कुष्ठ रोग जनित/श्रवण बाधित/चलन निःशक्तता/ बौनापन/ आटिज्म/सेरेबल पालसी/ मांसपेशी दुर्विकार/कोनिक न्यूरोलाजिकल/लर्निंग डिसेबिलिटी/मल्टीपल सकेलेरोसिस/वॉक एवं भाषा निशःक्तता/थैलेसीमिया/ हिमोफीलिया/सिकल सेल रोग/बहु निःशक्तता/तेजाब हमला पीड़ित/पार्किनसंस) बच्चों की शीघ्र पहचान करने तथा पुनर्वासन की प्रक्रिया से आच्छादन हेतु केन्द्रों/विद्यालय की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुदान प्रदान करना **(Early Intervention and Rehabilitation Centre)**। 2. उल्लिखित दिव्यांगताओं के सन्दर्भ में कार्यक्रम का संचालन। 3. पाठ्य सामग्री विकास एवं उत्पादन। **(Study Material Development and Production)** शिक्षण-प्रशिक्षण से जुड़े नवीनतम तकनीक पर आधारित सहायक उपकरणों की उपलब्धता, आडियो-विजुअल सामग्री का विकास एवं उत्पादन, प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों आदि हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना। 4. उपर्युक्त दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से जुड़े संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करना। 5. शैक्षिक सुविधाओं के विकास एवं पाठ्यचर्या के अनुरूप विद्यार्थियों को पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा सांकेतिक भाषा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराया जाना। उक्त हेतु पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना। 6. दिव्यांगजनों (दृष्टिबाधित/ अल्पदृष्टि /कुष्ठ रोग जनित/श्रवण बाधित/चलन निःशक्तता/बौनापन/ आटिज्म/सेरेबल पालसी/मांसपेशी दुर्विकार/कोनिक न्यूरोलाजिकल /लर्निंग डिसेबिलिटी/मल्टीपल सकेलेरोसिस/वॉक एवं भाषा निशःक्तता/थैलेसीमिया/हिमोफीलिया/सिकल सेल रोग/बहु निःशक्तता /तेजाब हमला पीडित/पार्किनसंस) के शिक्षण-प्रशिक्षण, नैदानिक सुविधाओं (फिजियोथेरेपी /स्पीचथेरेपी/

	आक्यूपेशनलथेरेपी आदि) 7. दिव्यांगजनों (दृष्टिबाधित/अल्पवृष्टि/कुष्ठ रोग जनित/श्रवण बाधित/चलन निःशक्तता/ बौनापन/ आटिज्म/सेरेवल पालसी/मांसपेशी दुर्विकार/कोनिक न्यूरोलाजिकल/लर्निंग डिसेबिलिटी/मल्टीपल सकेलेरोसिस/वॉक एवं भाषा निशःक्तता/थैलेसीमिया/हिमोफीलिया/सिकल सेल रोग/बहु निःशक्तता/तेजाब हमला पीडित/पार्किनसंस) के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थाओं/संगठनों की स्थापना/संचालन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना। 8. दिव्यांगजनों (दृष्टिबाधित/ अल्पदृष्टि/कुष्ठ रोग जनित/श्रवण बाधित/चलन निःशक्तता/ बौनापन/ आटिज्म/सेरेबल पालसी/मांसपेशी दुर्विकार/कोनिक न्यूरोलाजिकल/ लर्निंग डिसेबिलिटी/मल्टीपल सकेलेरोसिस/वॉक एवं भाषा निशःक्तता/ थैलेसीमिया/ हिमोफीलिया/सिकल सेल रोग/बहु निःशक्तता /तेजाब हमला पीडित /पार्किनसंस) आदि के शैक्षिक पुनर्वासन में संलग्न मानव संसाधन को सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु मॉडल तैयार करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेत सहायता अनुदान प्रदान करना। 9. डे-केयर सेन्टर्स की स्थापना हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना। 10. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अनुरूप दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगजन के प्रति समाज को संवेदनशील व जागरूक किये जाने हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना। उपर्युक्त कार्यक्रमों का संचालन किसी संस्था, केन्द्र, विद्यालय आदि द्वारा एकल/किसी एक दिव्यांगता अथवा विभिन्न दिव्यांगताओं के संदर्भ में कार्यक्रम का संचालन किये जाने हेतु अनुदान दिया जायेगा, जिसका उद्देश्य समावेशी पुनर्वासन वातावरण का संरक्षण किया जाना है।
5. पात्रता	(i) सहायता अनुदान हेतु आवेदन करने वाली संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 एवं अन्य संगत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था होनी चाहिए। अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य समान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत न्यास हो। अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 या तत्समय लागू किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी कम्पनी हो। अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/अध्यादेश द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी निकाय। (ii) विन्दु-1 के अन्तर्गत स्थापित वैधानिक संस्था/संगठन/कम्पनी/न्यास का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण होना आवश्यक है। (iii)योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान हेतु आवेदन करने वाली संस्था/संगठन/कम्पनी/ न्यास का नीति आयोग के पोर्टल पर नियमानुसार पंजीकृत कराते हुए विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। (iv) सहायता अनुदान हेतु आवेदन करने वाली संस्था/संगठन/कम्पनी/ न्यास दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। (जिस प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है उसी क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है)। यह कि दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुभव की गणना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। (v) संस्था/संगठन/कम्पनी/ न्यास द्वारा प्रस्तावित सहायता अनुदान हेतु परियोजना के संचालन के लिए एक

	प्रबंध निकाय का गठन होना चाहिए। (vi) संस्था के पास कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधन, अवसंरचना, सुविधायें, मानव संसाधन एवं संबंधित क्षेत्र का अनुभव होना अनिवार्य है। (vii) स्वैच्छिक संस्था द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य निकाय से वित्त पोषण/आच्छादित नहीं होना चाहिए। (संस्था की तरफ से सशपथ प्रमाण-पत्र अनिवार्य है) (viii) संस्था पूर्णतया गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित है जिसका घोषणा पत्र प्रबंधक/ सचिव/निदेशक/मुख्य न्यासी द्वारा शपथ-पत्र पर प्रस्तत किया जायेगा। (ix) संस्था को भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग/संगठन द्वारा अनुचित गतिविधियों/कृत्यों के लिए काली सूची में न डाला गया हो।
6. आवेदन की प्रक्रिया	(i) संस्था द्वारा सहायता अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना है जिसमें आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा। (ii) प्राप्त आवेदन पत्र पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा संगत नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार संस्था का भौतिक सत्यापन कर एक विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर सम्पूर्ण विवरण एवं तथ्यों को उल्लिखित करते हुए तैयार की जायेगी, तत्पश्चात आवेदन-पत्र जिलाधिकारी की संस्तुति से समस्त अपेक्षित प्रपत्रों सहित निदेशक,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को आवेदन-पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित किये जायेगें। (iii) प्रदेश एवं जनपदों से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों का परीक्षण निदेशालय स्तर पर संबंधित योजनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदन-पत्र का परीक्षण कर अनुदान समिति के विचारार्थ प्रेषित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें। परन्तु यदि किसी संस्था का प्रथम बार अनुदान हेतु चयन किया जाता है तो निदेशक अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने के पूर्व एक विशेषज्ञ समिति गठित कर संस्था का भौतिक स्थलीय सत्यापन करवाने के पश्चात पूर्णरूप से संतुष्ट होने की स्थिति में अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। संस्था को अनुदान और सहायता अनुदान की अनुकूलतम उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए एक निर्धारित मापदण्ड नियत किया जायेगा और उन मापदण्डों पर अंक प्रदान करते हुए संस्थाओं की ग्रेडिंग की जायेगी और यदि कोई संस्था मापदण्डों के अन्तर्गत निर्धारित अंक से 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करती है तो उसे अनुदान दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा। यह व्यवस्था पूर्णतया कम्प्यूटराइज्ड/तकनीक आधारित की जायेगी, इसे संचालित करने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा। (iv)परियोजना हेतु प्राप्त प्रस्तावों के अपूर्ण होने की दशा में उन्हें तत्काल निरस्त नहीं किया जायेगा बल्कि आदेवन-पत्र को पूर्ण कराने एवं तत्संबंधी अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु 30 दिवस की समयावधि संस्था एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को प्रदान किया जायेगा। यदि उक्त अवधि में वांछित अभिलेख एवं पूर्ण आवेदन-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे स्वतः निरस्त माना जायेगा। (v) आवेदन पत्र को लिये जाने की व्यवस्था ऑनलाईन/ऑफलाइन किसी भी मोड में कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा। (ऑनलाईन/ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु निदेशक द्वारा पृथक से निर्देश निर्गत किया जायेगा। (vi) सहायता अनुदान हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को परियोजना के आकार (विद्यालय-प्री0 प्राइमरी,

	जूनियर, कौशल विकास, डे-केयर सेन्टर आदि के अनुरूप) के आधार पर एक आरक्षित निधि के रूप में धनराशि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग , उ0प्र0 के नाम रिजर्व करनी होगी। (vii) आवेदन करने वाली संस्था में दिव्यांगजन लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट परियोजना के लिए निर्धारित सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए। तदोपरांत ही संस्था द्वारा सहायता अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

7. अवसंरचना तथा अनुदान की सीमा एवं दर

1. स्वैच्छिक संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित धनराशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत स्वयं के संसाधनों से संग्रहित करना होगा। इस प्रकार किसी भी परियोजना के लिए अधिकतम 90 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान दिया जा सकेगा।
2. विभिन्न श्रेणी के विद्यालय, कौशल विकास केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, डे-केयर सेन्टर्स, प्री-प्राइमरी स्कूल, **Early Intervention and Rehabilitation Centre** आदि हेतु आवश्यक भौतिक अवसंरचना का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं	परियोजना का नाम	परियोजना का आकार	आवश्यक भौतिक अवसंरचना
1	अर्ली इन्टरवेन्शन सेन्टर	इकाई क्षमता:- अधिकतम संख्या-40 न्यूनतम संख्या-24	थेरेपी कक्ष सहित 04 कक्ष (प्रत्येक कक्ष 200-250 वर्ग फीट, कुल कारपेट एरिया प्रति परियोजना 2000 वर्ग फीट/186 वर्ग मी0) तथा बाधारहित शौचालय एवं 01 कार्यालय कक्ष युक्त भवन।
2	डे- केयर सेन्टर/प्री-प्राइमरी स्कूल	इकाई क्षमता:- अधिकतम संख्या-60 न्यूनतम संख्या-36	थेरेपी कक्ष सहित 07 कक्ष (प्रत्येक कक्ष 200-250 वर्ग फीट, कुल कारपेट एरिया 3000 वर्ग फीट/914.10 वर्ग मी0) तथा बाधारहित शौचालय एवं 01 कार्यालय कक्ष युक्त भवन।
3	प्राइमरी स्कूल	इकाई क्षमता:- अधिकतम संख्या-100 न्यूनतम संख्या-60	थेरेपी कक्ष सहित 10 कक्ष (प्रत्येक कक्ष 200-250 वर्ग फीट, कुल कारपेट एरिया 3500 वर्ग फीट/326 वर्ग मी0) तथा बाधारहित शौचालय एवं 01 कार्यालय कक्ष युक्त भवन। (नोट-दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाधारहित भवन एवं शौचालय होना चाहिए)
4	जूनियर हाईस्कूल	इकाई क्षमता:- अधिकतम संख्या-100 न्यूनतम संख्या-60	सम्बन्धित बोर्ड के मानक के अनुसार प्रति परियोजना/इकाई। (नोट-दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाधारहित भवन एवं शौचालय होना चाहिए)
5	हाईस्कूल	इकाई क्षमता:- अधिकतम संख्या-100 न्यूनतम संख्या-60	सम्बन्धित बोर्ड के मानक के अनुसार प्रति परियोजना/इकाई। (नोट-दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाधारहित भवन एवं शौचालय होना चाहिए)

6	कौशल विकास अधिकतम 04 ट्रेड तथा न्यूनतम 02 ट्रेड	इकाई क्षमता:- प्रति इकाई (ट्रेड) अधिकतम प्रशिक्षार्थी संख्या-40 न्यूनतम संख्या-24	प्रशिक्षण हेतु 06 कक्ष (प्रत्येक कक्ष 250 वर्ग फीट कुल कारपेट एरिया 2500 वर्ग फीट/233 वर्ग मी0) (नोट-केन्द्र में दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों महिला एवं पुरुष हेतु अलग-2 बाधारहित शौचालय एवं कार्यालय कक्ष होना चाहिए)
7	पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालय	भौतिक एवं डिजिटल लाईब्रेरी न्यूनतम दिव्यांग सदस्य/लाथार्थी संख्या-100	लाइब्रेरी में पुस्तकों को अनुरक्षित करने के अतिरिक्त कम से कम 60 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था, कार्यालय कक्ष, लाईब्रेरियन कक्ष तथा बाधारहित शौचालय होनी चाहिए।

- समस्त केन्द्र आवश्यक फर्नीचर आदि से सुसज्जित होगें। फर्नीचर हेतु प्रत्येक केन्द्र पर मानकानुसार 05 वर्ष में 01 बार अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- मानव संसाधन की तैनाती हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद/डी0डी0आर0एस0 अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सेवायोजित किये जायेगें।
- डे केयर सेन्टर में 03-07 वर्ष के बच्चों को घर से लाने व ले जाने हेतु परिवहनकी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- (न्यूनतम 15 दिव्यांग बच्चों पर एक मध्यम श्रेणी का पैसेन्जर वाहन उपलब्ध कराया जायेगा)।
- कक्षों की गणना में कार्यालय कक्ष, शौचालय, भण्डार कक्ष आदि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- संस्था/विद्यालय/केन्द्र में कार्मिकों को योजनान्तर्गत निर्धारित मानदेय की धनराशि पर नियमित अवधि के लिए अनुबन्धित किया जायेगा तथा समस्त मानदेय का भुगतान संबंधित कार्मिक के राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते मे किया जायेगा।
- संस्था द्वारा दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना (प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल विद्यालय संचालन) एक बाधारहित भवन होना चाहिए तथा वह संस्था के स्वामित्व अथवा कम से कम 15 वर्ष हेतु लीज पर होना चाहिए परन्तु संस्था द्वारा प्रस्तावित भवन अथवा भूमि आदि के लिए किसी प्रकार का किराया राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगा एवं इस संदर्भ में संस्था का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- अर्ली इन्टरवेंशन/डे-केयर सेन्टर/प्री-प्राइमरी/कौशल विकास केन्द्र तथा पुस्तकालय हेतु भवन किराया नियमानुसार अनुमन्य होगा।
- आकस्मिक व्यय शीर्ष के अन्तर्गत डाक खर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां कार्यालय व्यय, बिजली,

- जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा मरम्मत, सीसीटीवी, वायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली आदि के व्यय को सम्मिलित किया जायेगा।
- छात्रावास हेतु प्रति लाभार्थी 400/-रुपये अनुरक्षण एवं प्रयोक्ता शुल्क (11 माह के लिए) अनुदान के रुप में दिया जायेगा।
- आवासीय दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवेतन/भरण पोषण अनुदान (भोजन व अन्य आवासीय व्ययों की पूर्ति हेतु) लक्षित मद में से अधिकतम सहायता अनुदान की सीमा 4000/-रूपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी होगी।
- 07 वर्ष से अधिक आयु के अनावासीय दिव्यांग विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं को मध्यान्ह भोजन के साथ-साथ स्टाइपेंड/वाहन भत्ता (रू0 500/-) प्रतिमाह का प्राविधान किया जायेगा जो समय-समय पर शासकीय अनुमति के आधार पर महंगाई दर के अनुपात में वढ़ाई जा सकेगी।

8-मानव संसाधन:-

(i) अर्ली इन्टरवेन्शन सेन्टर

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	मानदेय	अर्हता	अभ्युक्ति
1	समन्वयक	01	45900/-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	
2	विशेष शिक्षक (किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा प्राप्त) कम से कम 01 आईडी/सी0पी0/एम0डी0 आदि में विशेष शिक्षा प्राप्त होना चाहिए) प्रति 15 लाभार्थियों के लिए (25 लाभार्थियों से अधिक होने पर, 02 विशेष शिक्षक अनिवार्य रुप से)	02	44600/-	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। (2)) ब्रेल पद्धति/सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।	

3	अंशकालिक चिकित्सक (शिशु रोग विशेषज्ञ) अथवा जनरल फिजीशियन आवश्यकतानुसार	01	2000	प्रति विजिट (नयूनतम 01 साप्ताहिक विजिट) विशेषज्ञता के क्षेत्र में एम0डी0 या पी0जी0 डिप्लोमा।	
4	अंशकालिक आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (नयूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	बी0ओ0टी0	आवश्यकता अनुसार सेवायें प्राप्त की जायेंगी।
5	अंशकालिक फिजियोथेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (न्यूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	बी0पी0टी0	आवश्यकता अनुसार सेवायें प्राप्त की जायेंगी।
6	अंशकालिक ऑडियोलॉजिस्ट/ स्पीच थेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (नयूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	बी0ए0एस0एल0पी0/डी0एच0एल 0एस0 सर्टिफिकेट डिग्री के साथ 02 वर्ष का अनुभव	आवश्यकता अनुसार सेवायें प्राप्त की जायेंगी।
7	आया	02 (25 लाभार्थियों से अधिक होने पर 01 अतिरिक्त आया अनिवार्य रुप से)	8012	कक्षा 08 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य
	(ii) डे- केयर सेन्टर/प्री-प्राइमरी स्कूल				
1	समन्वयक	01	45900/-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	

2	विशेष शिक्षक (एम0आर0-03, एच0आई0-02, वी0आई0-2, एल0डी0-03) (60 लाभार्थियों हेतु प्रति 06 लाभार्थी 01 शिक्षक अनुमन्य होगा)	10	44600/-	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। (2)) ब्रेल पद्धति/सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।	
3	अंशकालिक फिजियोथेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (नयूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	बी0पी0टी	आवश्यकता अनुसार सवायें प्राप्त की जायेंगी।
4	अंशकालिक ऑडियोलॉजिस्ट/ स्पीच थेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (नयूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	बी0ए0एस0एल0पी0/डी0एच0एल0एस 0 सर्टिफिकेट डिग्री के साथ 02 वर्ष का अनुभव	
5	मनोचिकित्सक/ साइको काउन्सलर	01	2000 प्रति विजिट (न्यूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	(1) पी0जी0डी0आर0पी0 के साथ 02 वर्ष का अनुभव अथवा क्लीनिकल साइकलाजी में एम0फिल डिग्री। (2) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।	
6	आया (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य
7	स्वीपर/सफाई कर्मी (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-5 उत्तीर्ण/साक्षर	
8	अटेण्डेन्ट (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	
9	चैकीदार	01	8012/-	कक्षा-5 उत्तीर्ण/साक्षर	
(iii) प्राइमरी स्कूल (डे-केयर) (इकाई क्षमता:-अधिकतम संख्या-100 न्यूनतम संख्या-50)					

1	प्रधानाचार्य/समन्वयक	01	45900/-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	
2	विशेष शिक्षक (एम0आर0-03, एच0आई0-02, बी0आई0-2, एल0डी0-03) (60 लाभार्थियों हेतु प्रति 06 लाभार्थी 01 शिक्षक अनुमन्य होगा)	10	44600/-	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। (2) ब्रेल पद्धति/सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।	
3	अंशकालिक फिजियोथेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट(न्यूनतम 02 साप्ताहिक विजिट)	बी0पी0टी	आवश्यकतानुसार सवायें प्राप्त की जायेंगी।
4	अंशकालिक ऑडियोलॉजिस्ट/ स्पीच थेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (नयूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	बी0ए0एस0एल0पी0/डी0एच0एल0एस 0 सर्टिफिकेट डिग्री के साथ 02 वर्ष का अनुभव	
5	मनोचिकित्सक/ साइको काउन्सलर	01	2000 प्रति विजिट (नयूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	(1) पी0जी0डी0आर0पी0 के साथ 02 वर्ष का अनुभव अथवा क्लीनिकल साइकलाजी में एम0फिल डिग्री। (2) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।	
6	आया (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य
7	स्वीपर/सफाई कर्मी (प्रति 15 लाभार्थियों	04	8012/-	कक्षा-5 उत्तीर्ण/साक्षर	

	पर 01)				
8	अटेण्डेन्ट (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	
9	चैकीदार	01	8012/-	कक्षा-5 उत्तीर्ण/साक्षर	
(iv) जूनियर हाईस्कूल (कक्षा-1 से 08 तक) (डे केयर/आवासीय) इकाई क्षमता:-अधिकतम संख्या-100 न्यूनतम संख्या-50					
1	प्रधानाचार्य/समन्वयक	01	45900/-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।	
2	विशेष शिक्षक (एम0आर0-03, एच0आई0-02, बी0आई0-2, एल0डी0-03) (60 लाभार्थियों हेतु)	10	44600/-	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। (2) ब्रेल पद्धति/सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।	
3	संगीत शिक्षक	01	35400/-	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	
4	शिल्प शिक्षक	01	35400/-	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	
5	ड्राईग शिक्षक	01	35400/-	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	
6	योग प्रशिक्षक	01	35400/-	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	
7	अंशकालिक फिजियोथेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (नयूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	बी0पी0टी	आवश्यकतानुसार सवायें प्राप्त की जायेंगी।

8	अंशकालिक ऑडियोलॉजिस्ट/ स्पीच थेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (न्यूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	बी0ए0एस0एल0पी0/डी0एच0एल0एस 0 सर्टिफिकेट डिग्री के साथ 02 वर्ष का अनुभव	
9	मनो चिकित्सक/साइको काउन्सलर	01	2000 प्रति विजिट (न्यूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	(1) पी0जी0डी0आर0पी0 के साथ 02 वर्ष का अनुभव अथवा क्लीनिकल साइकलाजी में एम0फिल डिग्री। (2) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।	
10	वार्डेन	01	14068/-	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा हाउस कीपिंग में डिप्लोमा।	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
11	लेखाकार	01	14068/-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.काम और अधिमानतः 2 वर्ष का अनुभव।	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप
12	नर्स (100 विद्यार्थियों तक)	01	14068/-	नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
13	रसोइया (25 विद्यार्थियों पर 01)	02	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य।
14	भण्डार लिपिक/डाटा इन्ट्री आपरेटर	01	14068/	इण्टरमीडिएट तथा कम्पयूटर का ज्ञान।	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
15	आया (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य
16	स्वीपर/सफाई कर्मी (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-5 उत्तीर्ण/साक्षर	

17	अटेण्डेन्ट (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	
18	चपरासी/चौकीदार	01	8012/-	कक्षा-5 उत्तीर्ण/साक्षर	
(v) हाईस्कूल (कक्षा-1 से 10 तक) (डे केयर/आवासीय) इकाई क्षमता:- अधिकतम संख्या-100 न्यूनतम संख्या-50					
1	प्रधानाचार्य/समन्वयक	01	45900/-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण तथा कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।	
2	विशेष शिक्षक (एम0आर0-03, एच0आई0-02, वी0आई0-2, एल0डी0-03) (60 लाभार्थियों हेतु प्रति 06 लाभार्थी 01 शिक्षक अनुमन्य होगा)	10	44600/-	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वी0एड0 (विशेष शिक्षा) की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण/ पी0जी0 में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। (2) ब्रेल पद्धति/सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।	
3	संगीत शिक्षक	01	35400/-	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	
4	शिल्प शिक्षक	01	35400/-	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	
5	ड्राईग शिक्षक	01	35400/-	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	
6	योग प्रशिक्षक	01	35400/-	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	
7	अंशकालिक फिजियोथेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (न्यूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	वी0पी0टी	आवश्यकतानुसार सवायें प्राप्त की जायेंगी।
8	अंशकालिक ऑडियोलाजिस्ट/ स्पीच थेरेपिस्ट	01	850 प्रति विजिट (न्यूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	वी0ए0एस0एल0पी0/डी0एच0एल0 एस0 सर्टिफिकेट डिग्री के साथ 02 वर्ष का अनुभव	आवश्यकतानुसार सवायें प्राप्त की जायेंगी।

9	मनो चिकित्सक/साइको काउन्सलर	01	2000 प्रति विजिट (न्यूनतम 2 साप्ताहिक विजिट)	(1) पी0जी0डी0आर0पी0 के साथ 02 वर्ष का अनुभव अथवा क्लीनिकल साइकलाजी में एम0फिल डिग्री। (2) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।	आवश्यकतानुसार सवायें प्राप्त की जायेंगी।
10	वार्डेन	01	14068/-	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा हाउस कीपिंग में डिप्लोमा।	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
11	लेखाकार	01	14068/-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वी.काम और अधिमानतः 2 वर्ष का अनुभव।	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप
12	नर्स (100 विद्यार्थियों तक)	01	14068/-	नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
13	रसोइया (25 विद्यार्थियों पर 01)	02	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य।
14	भण्डार लिपिक/डाटा इन्ट्री आपरेटर	01	14068/	इण्टरमीडिएट तथा कम्पयूटर का ज्ञान।	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
15	आया (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य।
16	स्वीपर/सफाई कर्मी (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-5 उत्तीर्ण/साक्षर	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य।
17	अटेण्डेन्ट (प्रति 15 लाभार्थियों पर 01)	04	8012/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य।

(vi) कौशल विकास अधिकतम 04 ट्रेड तथा न्यूनतम 02 ट्रेड इकाई क्षमता:-प्रति इकाई (ट्रेड) अधिकतम प्रशिक्षार्थी संख्या-50 न्यूनतम संख्या-30					
1	कार्यक्रम समन्वयक	01	28750	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक तथा संबंधित क्षेत्र में 07 वर्ष का कार्यनुभव	
2	लेखाकार	01	14068/-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0काम तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का कार्यनुभव	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
3	व्यावसायिक प्रशिक्षक (प्रत्येक ट्रेड के लिए 25 प्रशिक्षुओं पर एक)	04	14068/-	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इण्टरमीडिएट या समकक्ष तथा संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट कोर्स	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
4	व्यावसायिक परामर्शदाता	01	14068/-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा परामर्शदाता विषय में डिप्लोमा।	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
5	सहायक प्रशिक्षक (प्रत्येक ट्रेड के लिए 25 प्रशिक्षुओं पर एक)	02	12559/-	कक्षा-8 उत्तीर्ण	श्रम विभाग द्वारा अर्ध कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
6	सफाई कर्मचारी	01	8012	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य।
7	चैकीदार	01	8012	कक्षा-05 उत्तीर्ण	
8	चपरासी	01	8012	कक्षा-8 उत्तीर्ण	
(vii) पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालय (भौतिक एवं डिजिटल लाईब्रेरी) न्यूनतम सदस्य संख्या-100					
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	29200/-	लाईब्रेरी साइंस में डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव।	
2	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	14068/-	लाईब्रेरी साइंस में डिप्लोमा	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
3	कार्यालय सहायक सह टाइपिस्ट/डेटा एंट्री ऑपरेटर	01	14068/-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या डिप्लोमा पाठयक्रम के साथ 10+2	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।

4	कम्पयूटर आपरेटर/एडिटिंग/ आडियो रिकार्डिंग आपरेटर	01	14068/-	इण्टरमीडिएट तथा कम्पयूटर में न्यूनतम ओ0 लेवल सर्टिफिकेट	श्रम विभाग द्वारा कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
5	रीडिंग असिसटेंट	01	12559/-	वालन्टियर	श्रम विभाग द्वारा अर्ध कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुरुप।
6	अटेण्डेंट/चपरासी	01	8012	कक्षा-8 उत्तीर्ण	शासनादेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार अनुमन्य।
7	चौकीदार	01	8012	कक्षा-05 उत्तीर्ण	
8	सफाई कर्मचारी/स्वीपर	01	8012	कक्षा-5 उत्तीर्ण/साक्षर	

ख-आवर्ती-गैर मानदेय

क्र.सं	आवर्ती गैर मानदेय	प्रस्तावित दर
1	आकस्मिक व्यय	रू0 1600/- प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष
2	संवासियों का भरण पोषण (भोजन, कपड़ा, साबुन, तेल, मंजन आदि) केवल आवासीय छात्रों को देय होगा	रू0 4000/- प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष
3	कच्चा माल	प्रशिक्षण के लिए 50 लाभार्थियों के लिए रु0 100000/- रुपये प्रति वर्ष। उसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए रु0 20000/- अधिकतम 02 लाख रुपये तक
	अनावर्ती	
1	फर्नीचर (अल्प लागत वाले बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) प्रति लाभार्थी के लिए अधिकतम 2000 रुपये तक (05 वर्ष के बाद क्षतिग्रस्त तथा खराब फर्नीचर को बदलने हेतु पुनः अनुदान दिया जा सकेगा।)	200000/-रुपये (अधिकतम)
2	कम्पूयटरीकृत वाक् चिकित्सा उपकरण	80000/-(अधिकतम)
3	व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरण	200000/-(अधिकतम)

4	वाक् और भाषा उपचार सामग्री	60000/-(अधिकतम)
5	ऑडियोलॉजी उपकरण	80000/ (अधिकतम)
6	कम्पयूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसेरीज (5 वर्ष में एक बार)	75000/-(अधिकतम)
7	संसाधन कक्ष/पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये/बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये)	100000 रुपये एक बार/25000 (आवर्ती)
8	पुस्तकालय हेतु (केवल पुस्तकों के लिए) (03 वर्ष के बाद छतिग्रस्त तथा नवीन पुस्तकों के क्रय हेतु रु0 100000/- का अनुदान दिया जा सकेगा।)	200000/-(अधिकतम)

अनुदान की उक्त दरें नियोजन तथा वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर परिवर्तित की जा सकेंगी।

<u>टिप्पणी:-</u>

क. ऊपर विहित योग्यता न्यूनतम वांछित योग्यता है और आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताओं के संदर्भ में पढ़ी और इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।

ख. मानव संसाधन कार्मिक, गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारी है न कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के। स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के स्रोत से उच्चतर मानदेय देने के लिए स्वतंत्र होगी और इस योजना के तहत विभाग का निधियन उपर्युक्त ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। संस्था में कार्मिकों को नियुक्त करते समय यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि यदि सहायता अनुदान बंद हो जाता है, तो विभाग को स्वैच्छिक संगठन द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों को भुगतान किए जाने वाले मानदेय के मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठन का होगा।

ग. इस योजना का मूल सिद्धांत स्वैच्छिक कार्यवाही है और इस योजना के अंतर्गत योग्यता अनुपालन के संदर्भ में अथवा अपेक्षाओं हेतु कहीं और भुगतान की जा रही राशि के बराबर राशि हेतु दावा करने में किसी भी रीति में इसको आधार के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। संस्था कार्मिक को नियुक्त करने के समय यह बात सुपष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए।

घ. परिभाषित मानकों के एक सेट के लिए अनुबंध के इस भाग में पदों को सूचीबद्ध करना, इस अनुबंध में दी गई प्रमुख गतिविधियों के लिए किसी भी परियोजना प्रोफाइल के अंतर्गत पद के निधियन के लिए स्वतः अर्हक नहीं बनता और इन परियोजना प्रोफाइलों को ध्यान में रखते हुए, सहायता की सीमा निर्धारित की जायेगी।

9- अनुदान समिति

1. निदेशक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त अनुदान समिति द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

2. अनुदान समिति की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक अनिवार्यतः आहूत की जायेगी। आवश्यकतानुसार बैठक अल्प सूचना पर कभी भी बुलायी जा सकती है।

3. स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित परियोजना/कार्यक्रमों के लिए अनुदान समिति का स्वरूप निम्नवत होगा:-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन अथवा उनके द्वारा नामित उपायुक्त।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वित्त विभाग का नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी न हो।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नियोजन विभाग का नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी न हो।	सदस्य

	5	प्रमुख सचिव/सचिव, खेल विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा खेल विभाग का नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी न हो	सदस्य
	6	महानिदेशक समग्र शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
	7	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य सचिव
	8	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य
	9	दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्था/दिव्यांग व्यक्ति -02 सदस्य (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित)	सदस्य

10- अनुदान वितरण की प्रक्रिया	1-(क) अनुदान किसी ऐसे निकाय को ही दिया जायेगा जो शासन के अधीन न होकर स्वायत्त शासी संगठन हो तथा सरकार के किसी दूसरे विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किसी संगठन को नहीं दिया जायेगा। अर्थात पूर्ण रूप से संचालित स्वैच्छिक संस्था/संगठन द्वारा प्रस्तुत सहायता अनुदान प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। (ख) विद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के सृजन के उपरान्त ही संगठन द्वारा प्रस्तुत अनुदान प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। (ग)प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल विद्यालयों के संचालन हेतु संबंधित बोर्ड से मान्यता प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। (घ) महिला/पुरुष के लिए विद्यालय/संस्था द्वारा पृथक-पृथक व्यवस्था की जायेगी। (जूनियर हाईस्कूल स्तर तक) (ड)विद्यालय सेवाओं के संचालन की सम्पूर्ण व्यवस्था एक ही परिसर/भवन में संचालित होगी। 2. अनुदान ग्राही संस्था को जिस योजना अथवा कार्य के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है वह संस्था किसी अन्य संस्था/संगठन को उक्त कार्य हेतु स्वीकृत अनुदान हस्तांतरित नहीं करेगी। अनुदान ग्राही संस्था इस प्रकार किये गये धनराशि के अंतरण को सहायता अनुदान का अपव्यय माना जायेगा। यदि अनुदान ग्राही संस्था सौंपे गये कार्यों को करने में सक्षम नहीं है तो उस दशा में संस्था को अनुदान की समस्त धनराशि राज्य सरकार को वापस करनी पड़ेगी। अनुदान ग्राही संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के पूर्व उपरोक्त आशय का आश्वासन अनुवन्ध विलेख में दिया जायेगा। परन्तु यदि किसी संस्था की शाखाएं है और इसकी घोषणा अनुदान प्राप्त करने से पूर्व की गयी है या अनुदान इस विशिष्टि उददेश्य के साथ स्वीकृत किया गया है कि अनुदानं ग्राही संस्था स्थापित नियमों के अन्तर्गत समान कार्य कर रही किसी अन्य संस्था को अनुदान हस्तांतरित कर सकती है तो केवल इसी दशा में अनुदान का हस्तांतरण किया जा सकेगा। 3. अनुदान समिति की संस्तुति के अनुसार निदेशक द्वारा अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक सस्था को दो किश्तों में (प्रथम किश्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि का 60 प्रतिशत, द्वितीय किश्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि का शेष 40 प्रतिशत) अनुदान ऑनलाइन संस्था के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाएं कुल उपलब्ध धनराशि का 10 प्रतिशत का व्यय अपने निजी संसाधनों से व्यय करेगें। प्रतिमाह संस्था द्वारा 15 दिन से अधिक की अवधि में दिव्यांगजन की उपस्थिति पर व्यय किये गये धनराशि का भुगतान अनुमन्य होगा। 4. अनुदान ग्राही संस्था के द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर 209 के नीचे अंकित टिप्पणी (1) के अनुसार उपवंध (1) में वर्णित सहायता मंजूरी पंजिका में रखना अनिवार्य होगा। 5. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त सुरक्षित धनराशि (Impressed Money) आगामी वित्तीय वर्ष (तीन

	माह) हेतु रखी जायेगी जिससे आगामी बजट की उपलब्धता तक विद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र/संस्था के सुचारू संचालन में अवरोध न उत्पन्न हो। 6. प्रथम किस्त की धनराशि का उपभोग हो जाने के उपरान्त संबंधित स्वैच्छिक संस्था से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करके तथा उस पर निदेशक अपना समाधान करने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त अवमुक्त करेगें। 7.अनुदान की धनराशि का उपभोग हो जाने के पश्चात संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संस्था का सत्यापन कर प्रश्नगत धनराशि जिस मद में स्वीकृत की गयी है, का व्यय उसी मद में किया गया है, से संतुष्ट होने के उपरान्त उपभोग-प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर FORM GFR-19 पर 01 माह के अन्दर प्रतिहस्ताक्षरित कर निदेशक को प्रेषित किया जायेगा। उस पर निदेशक अपना समाधान करने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त अवमुक्त हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे।
11-अभिलेखों का रखरखाव	संस्था के प्रबधंक/सचिव का उत्तरदायित्व विद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र/संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का होना तथा प्रबन्धक/ सचिव द्वारा निम्नलिखित अभिलेख विद्यालय/संस्था/केन्द्र पर तैयार कराये जायेंगे और किसी भी अधिकारी के निरंक्षण हेतु केन्द्र पर सुलभ रहेंगे- 1- विद्यालय/संस्था/केन्द्र में प्रवेशित सभी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजन के प्रवेश से संबंधित विवरण रखे जायेंगे। 2- विद्यालय/संस्था/केन्द्र में प्रत्येक विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजन की अलग-2 पत्रावली/प्रोफाइल आई0ई0पी0 (Indivisual educational plan) तैयार की जायेगी जिससे छात्र से संबंधित सुसंगत अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से अभिरक्षित किया जायेगा। 3- समय-समय पर छात्र/छात्राओं के कराये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण तथा क्लीनिकल सेवाओं से सम्बन्धित पत्रावली अद्यतन कर अभिरक्षित किया जायेगा। 4- विद्यालय/संस्था/केन्द्र पर दी जाने वाली सभी सुविधाओं से सम्बन्धित इन्वेन्ट्री की पत्रावली। 5- विद्यालय/संस्था/केन्द्र की सभी सामग्री के लिए डेड-स्टॉक एवं पेरिशिबिल पंजिका बनायी जायेगी तथा नाश्वान एवं अनाशवान वस्तुओं का अंकन अनिर्वाय रूप से पंजिका में किया जायेगा। 6- विद्यालय/संस्था/केन्द्र पर कार्यरत कार्मिकों का पूर्ण व्यक्तिगत विवरण के साथ स्थापना रजिस्टर तथा उपस्थिति पंजिका अनुरक्षित किया जाएगा। 7-छात्र/छात्राओं की उपस्थिति से संबंधित अभिलेख भौतिक एवं डिजिटल रूप से अनुरक्षित किया जायेगा। 8-विद्यालय/संस्था/केन्द्र लेखन सामग्री रजिस्टर बनायी जायेगी। 9-छात्र/छात्रा से मिलने वाले व्यक्तियों/अभिभावकों से सम्वधित विजिटर्स रजिस्टर। 10- विद्यालय/संस्था/केन्द्र में अनुदान अथवा विभिन्न स्रोतों से प्राप्ति तथा व्यय की कैश-बुक। 11-विद्यालय/संस्था/केन्द्र में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय से संबंधित विवरण पंजिकाओं में पृथक से तैयार कर सुव्यवस्थित किया जायेगा। 12-निदेशक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों में अंकित अभिलेख।
12-लेखा संवीक्षा	1. अनुदानग्रहीता स्वैच्छिक संस्थाओं के लेखा-अभिलेखों की लेखा परीक्षा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश अथवा निदेशक द्वारा गठित किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संस्था के व्यय पर करायी जायेगी।

	2. समस्त अनुदान की धनराशि कन्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल भारत सरकार के विवेकानुसार सम्परीक्षित की जा सकेगी।
13- निरीक्षण	1. विद्यालय/संस्था के प्रबंधक/सचिव द्वारा समय-समय पर छात्रावास एवं प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया जायेगा एवं उसका विवरण पत्रिका में अंकित किया जायेगा। 2- (क) जिला दिव्यांगजन सशकतीकरण अधिकारी द्वारा माह में एक बार एवं मण्डलीय उपनिदेशक द्वारा 6 माह में एक बार अनिवार्य रूप से विद्यालय/केन्द्र का भ्रमण किया जायेगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधिकारी केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं। 2-(ख) विद्यालय/संस्था/केन्द्र में आवासीय/अनावासीय रूप से शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन हेतु त्रिस्तरीय समिति अनिवार्य रुप से प्रत्येक छः माह में केन्द्र का निरीक्षण करेगी। (1)-जिलाधिकारी द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी। (2)-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी। (3)-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी। 2-(ग) विद्यालय/संस्था/केन्द्र के सुचारु रूप से संचालन हेतु समय-समय पर निरीक्षण हेतु निदेशालय से चेक प्वाईंट उपलब्ध कराया जायेगा। वार्षिक आधार पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर (प्रारूप संख्या-4) संबधित स्वैच्छिक संस्था के कार्य व्यवहार का सोशल आडिट (फीडबैक) संस्था में अध्ययनरत अथवा प्रशिक्षित दिव्यांग विद्यार्थियों के माध्यम से कराया जायेगा। 3. निरीक्षण के समय सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था/विद्यालय/केन्द्र के समस्त कार्यकलापों का मूल्यांकन उपलब्ध अवस्थापनात्मक सुविधाओं/अभिलेखों आदि का संज्ञान लेते हुए किया जायेगा। 4. निरीक्षण के समय प्रबन्धक/सचिव को समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराने होंगे। 5. निरीक्षण में पाये जाने वाली कमियों का निराकरण संस्था/विद्यालय/केन्द्र द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 6. निरीक्षणकर्ता छात्र/छात्राओं/लाभार्थियों अथवा अभिभावकों से उनके शिक्षण-प्रशिक्षण, चिकित्सीय सेवा, रहने, भोजन, वस्त्र, बिस्तर, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई एवं अन्य सुविधाओ के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर सकेंगे। 7. किसी विद्यार्थी/संवासी से दुर्व्यवहार की शिकायत पाये जाने की स्थिति में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा किसी सक्षम स्तर से जाँच कराकर विद्यालय/संस्था के प्रमुख को यथावश्यक निर्देश प्रदान कर सकेंगे जिनका अनुपालन विद्यालय/संस्था को सुनिश्चित करना होगा। 8. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा निरीक्षण के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी निरीक्षण आख्याओं को सम्मिलित कर तथा निर्दिष्ट 'सोशल आडिट' के आधार पर स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों का मूल्यांकन ग्रेडिंग पद्धिति के आधार पर किया जायेगा। यथा-ए ग्रेड- उत्कृष्ट प्रर्दशन करने वाली स्वैच्छिक संस्था/संगठन (90-100%) अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान। बी ग्रेड- मध्यम प्रर्दशन करने वाली स्वैच्छिक संस्था/संगठन (70-90%) अधिकतम 75 प्रतिशत अनुदान। सी ग्रेड- सामान्य प्रर्दशन करने वाली स्वैच्छिक संस्था/संगठन (60 %से 70%) अधिकतम 60 प्रतिशत अनुदान। डी ग्रेड- सामान्य से निम्न प्रर्दशन करने वाली स्वैच्छिक संस्था/संगठन (60%से नीचे) अनुदान देय नहीं होगा। अनुदान समिति द्वारा उपरोक्त ग्रेडिंग को संज्ञान में लाते हुये उक्त स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृति पर विचार करेगी।

14- शिक्षण प्रशिक्षण	1. संस्था में प्रवेशित प्रत्येक बालक/बालिकाओं का व्यक्तिगत प्रोफाईल एवं उनके समयबद्ध प्रगति से संबंधित विवरण संबंधित कक्षा के विशेष शिक्षक/प्रशिक्षक द्वारा बनायी जायेगी तथा नियमित रूप से अद्यतन रखी जायेगी। 2. शिक्षण-प्रशिक्षण का समय माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रातः 9.00 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 10.00 बजे से 2.30 बजे तक रहेगा अथवा जिलाधिकारी द्वारा उक्त हेतु निर्गत आदेश प्रभावी होगा। शिक्षकों व कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि से आधा घण्टा पूर्व उपस्थित होना होगा तथा अपरान्ह में शिक्षण-प्रशिक्षण के समय के उपरान्त कम से कम 01 घण्टे संस्था में रहेगें, ताकि बच्चों के जाने के पश्चात उनकी व्यक्तिगत प्रोफाईल एवं उनके समयबद्ध प्रगति से संबंधित विवरण तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित किये जा सकें। 3. प्रत्येक 03 माह में समन्वयक/प्रबंधक समिति/निदेशक द्वारा अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जायेगा तथा बच्चों के क्रियाकलापों तथा उनमें हो रहे सकारात्मक /नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा तथा बच्चों के परिवर्तन के संदर्भ में काउन्सलिंग भी की जायेगी। 4. वार्षिक क्रियाकलापों हेतु शैक्षिक कलैण्डर भी जारी किया जायेगा तथा समय-समय पर क्रीड़ा दिवस, वार्षिक दिवस तथा अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराये जायेगें ताकि बच्चों का नैतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विकास हो सके। 5. प्रत्येक 20 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा जिसे आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त अवकाशों में संस्थाओं में भी अवकाश रहेगा।
15- सुविधाएं	1. शिक्षण-प्रशिक्षण, मेडिकल चेक अप, फिजियोथेरेपी, स्पीचथेरेपी आदि की सुविधा होगी। 2. दिव्यांग बच्चों को पाठ्य-सामग्री व दिव्यांगता के अनुसार सहायक उपकरण यथा- श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, ए0डी0एल0 किट निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेगें। 3. अध्ययनरत/प्रशिक्षणरत बच्चों को मध्यान्ह में पोषक आहार उपलब्ध कराया जायेगा। 4. बच्चों को निर्धारित यूनिफार्म (01 ग्रीष्मकालीन व 01 शीतकालीन) निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। 5. दिव्यांग बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उच्चकोटि के उपकरण तथा शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री (टी0एल0एम0) उपलब्ध करायी जायेगी ताकि इन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेशित कराये जाने हेतु तैयार किया जा सके। 6. प्रत्येक संस्था में इण्टरनेट, टेलीफोन, सी0सी0टी0वी0 तथा बायोमैट्रिक मशीन की व्यवस्था करायी जायेगी, जिससे संस्था में समस्त कार्मिकों व बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने के साथ सघन पर्यवेक्षण का कार्य हो सके।
16- अनुदान की वसूली	1. अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक विद्यालय/संस्था/केन्द्र द्वारा अनुदान का दुरूपयोग करने, धनराशि का गबन करने झूठी या गलत सूचना प्रस्तुत करने, प्राप्त की गयी धनराशि के अनुसार लाभार्थियों को सुविधाये उपलब्ध न कराने, शासकीय नीतियों का कुप्रचार करने या अनियमितताओं की दशा में अनुदान की धनराशि को अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्था से अथवा उसके पदाधिकारियों व संस्था के प्रवन्धक/सचिव से निदेशक के प्रमाण पत्र पर भू-राजस्व के वकाये की भांति वसूल कर लिया जायेगा। 2. यदि किसी स्वैच्छिक संस्था के पास सहायता अनुदान की सम्पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि अवशेष बचती है तो वह धनराशि स्वैच्छिक संस्था को निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अनिवार्यतः वापस करना होगा।

	3. सहायता अनुदान की धनराषि पर यदि कोई ब्याज अर्जित होता है तो उसे राजकोष में निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से बैंक पासबुक की अद्यतन प्रमाणित छायाप्रति के साथ जमा करना होगा। 4. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
17- नियमों में संशोधन	राज्य सरकार समय-समय पर दिशा-निर्देश में यथावश्यक संशोधन व परिमार्जन कर सकती है।

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
23/01/26
प्रमुख सचिव
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।